

श्री विजय सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-18/2/568 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत काढ़ागोला बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल के कुर्सेला रेलवे पुल गार्ड बांध से कमलाकान्ही होते हुए मधेली गाँव के 12 नंबर स्पर तक बांध गंगा नदी के कटाव से नदी में विलीन होने के कारण गंगा एवं कोसी नदी के पानी से 6 कि०मी० तक की दूरी तक बसे गाँव पानी में डूबा रहता है तथा बरौनी-कटिहार रेलवे लाईन पर भी बाढ़ के पानी का दबाव बने रहने के कारण रेलवे लाईन कटने की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त स्थल पर कबतक स्पर निरोधी कार्य तथा बांध का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत कोसी नदी पर निर्मित रेलवे पुल के गार्ड बांध से स्पर सं० 12 के बीच गंगा नदी पर निर्मित गुमटीटोला-जौणिया- कुर्सेला तटबंध लगभग 30 वर्ष पूर्व गंगा नदी के कटाव से नदी में विलीन हो गया है। वर्तमान में इस प्रभाग में तटबंध अवस्थित नहीं है। बरौनी-कटिहार रेलवे लाईन गंगा नदी के तट से लगभग 1.4 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।</p> <p>प्रश्नगत प्रभाग में बरौनी-कटिहार रेलवे लाईन एवं गंगा नदी के बीच बायें तट पर पत्थरटोला, निषाद टोला, खेरिया, बालूटोला, तीनधरिया, नवटोलीया, मजदिया, बासुहार एवं कमलाकानी आदि ग्राम अवस्थित है। इन ग्रामों की नदी तट से औसतन दूरी 50 मीटर से 380 मीटर है।</p> <p>बाढ़ अवधि के दौरान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर प्रश्नगत प्रभाग में पानी का फैलाव होता है परंतु जलस्तर में कमी होने पर पानी नदी में स्वतः वापस चला जाता है।</p> <p>गंगा नदी से कटाव के दृष्टिगत ग्राम खेरिया के सुरक्षार्थ बाढ़ 2026 पूर्व कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को समर्पित की गयी है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।</p> <p>इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से प्रश्नगत प्रभाग में पत्थर टोला से कमलाकानी के बीच लगभग पांच किलोमीटर की लंबाई में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।</p> <p>वर्तमान स्थलीय परिप्रेक्ष्य में वर्णित ग्रामों के सुरक्षार्थ बाँध निर्माण का विकल्प तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है।</p> <p>बाढ़ अवधि के दौरान कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-15/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/568 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-15/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-15/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-15/2026-

1255

पटना, दिनांक- 17/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

